

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)


कमांक:एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंप्रअ.स्था.पद./पार्ट-1/2019/599 जयपुर,दिनांक: 19/05/20

:: आदेश ::

श्री चिरंजी लाल वर्मा, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत प्रसार अधिकारी), पंचायत समिति देवली, जिला टोंक को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतिकक्षा में किया जाकर इनका मुख्यालय कार्यालय जिला परिषद टोंक किया जाता है।


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से


(अनुप्रेरणा सिंह कुन्ताल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर टोंक।
5. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद टोंक।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवली, जिला टोंक।
7. श्री चिरंजी लाल वर्मा, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत प्रसार अधिकारी), पंचायत समिति देवली, जिला टोंक
8. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
9. आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)